[2022] 7 एस. सी. आर. 195

अहमदनगर महानगर पालिका

बनाम.

अहमदनगर महानगर पालिका नगर संघ

(2022 की सिविल अपील संख्या 5944)

05 सितंबर, 2022

[न्यायमूर्तिगण एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**]**

नियुक्ति-अनुकंपा के आधार पर-अहमदनगर नगर परिषद को 2003 में अहमदनगर महानगर पालिका/नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया था-जब परिषद अस्तित्व में थी, तो संघ द्वारा एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था-एक मांग कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को रोजगार देने के संबंध में थी-1981 में, औद्योगिक न्यायालय ने निर्देश दिया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की, यदि उनकी सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है; यदि वे अमान्य हो जाते हैं, या यदि वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनके उत्तराधिकारियों को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जानी चाहिए-2005 में औद्योगिक न्यायालय ने पहले के पुरस्कार में संशोधन किया जिसके तहत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई थी और केवल चतुर्थ श्रेणी के मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी-दो अन्य औद्योगिक विवाद थे।1981 का पुरस्कार तब पारित किया गया था जब नगर परिषद अस्तित्व में थी-2003 में नगर परिषद को नगर निगम में परिवर्तित किए जाने के बाद, इसके कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसमें कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं था-अन्यथा भी, कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की उनकी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगी-यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी या अधिक योग्य हो सकते हैं।

– इस तरह की नियुक्ति उल्लंघन होगी।14 और संविधान का 15-भारत का संविधान।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** वर्ष **2003** में**,** नगर परिषद को नगर निगम/महानगर पालिका में परिवर्तित कर दिया गया है और महानगर पालिका/नगर निगम के तहत सभी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना/नियमों और विनियमों द्वारा शासित हैं**,** जो अनुकंपा के आधार पर किसी भी नियुक्ति या कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है।औद्योगिक न्यायालय और/या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह महानगर पालिका/नगर निगम

को कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दे, जो औद्योगिक न्यायालय द्वारा **1979** के संदर्भ आई. टी. सं. **51** में पारित निर्णय और निर्णय पर निर्भर करता है।**[**पारस **5** और **6] [202-**एच**; 203-**ए**; 205-**बी-सी**]**

2. नगर परिषद के नगर निगम/महानगर पालिका में परिवर्तित होने के बाद, महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना द्वारा शासित होंगे और सरकारी कर्मचारियों के बराबर होंगे।महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान राज्य सरकार की योजना द्वारा शासित होंगे, जिसमें कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।**[**पैरा **7] [205-**सी**-**एफ**]**

3. अन्यथा भी, कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर ऐसी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** द्वारा प्रभावित है।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वतः नहीं होती है और यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांच के अधीन होगी।कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। अतः अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर विस्तारित नहीं किया जा सकता है।यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो उस मामले में, बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और केवल उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को नियुक्ति मिलेगी और जो बाहरी हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी और/या सुशिक्षित और/या अधिक योग्य हो सकते हैं।इसलिए, प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन कि नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नहीं है, लेकिन इसे वरस हक्का कहा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।भले ही इसे वरस हक्का कहा जाए, लेकिन यह किसी भी योजना द्वारा समर्थित नहीं है और यहां तक कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** के साथ-साथ अनुच्छेद **15** का उल्लंघन भी कहा जा सकता है।**[**पैरा **8] [205-**एफ**-**एच**; 206-**ए**-**सी**]**

3. महानगर पालिका/नगर निगम को कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का निर्देश देने में औद्योगिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार दोनों ही टिकाऊ नहीं हैं।**[**पैरा **9] [206-**सी**-**डी**]**

सरकार के सचिव। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा, 2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1264 और सुभद्रा बनाम कोयला मंत्रालय और एक अन्य (2018) 11 एस. सी. सी. 201-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

(2018) 11 एस**.** सी**.** सी **201** संदर्भित किया गया है पैरा **4.2**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 5944।

2017 की रिट याचिका संख्या 6806 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2022 से।

के साथ

2022 की सिविल अपील No.5945।

सुहास कदम, मेसर्स ब्लैक एंड व्हाइट सॉलिसिटर्स, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अय्यर श्रुति गोपाल, आनंद के., सुश्री आंचल राज, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, जे. द्वारा दिया गया था

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, औरंगाबाद की पीठ ने रिट याचिका संख्या 6806/2017 और 3465/2017 में पारित किया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त दो रिट याचिकाओं-अहमदनगर महानगर पालिका, अहमदनगर को खारिज कर दिया है और औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2016 और 21.09.2016 में क्रमशः शिकायत (ULP) संख्या <ID5 और शिकायत (ULP) संख्या में पारित निर्णय और पुरस्कार की पुष्टि की है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

वर्ष 2003 में, अहमदनगर नगर परिषद को अहमदनगर महानगर पालिका में परिवर्तित कर दिया गया था।उस समय जब नगर परिषद अस्तित्व में थी, संघ द्वारा 1979 का संदर्भ आई. टी. सं. 51 एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था।मांग संख्या 3 कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले रोजगार के संबंध में थी।प्रासंगिक समय पर, नगर परिषद द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (यदि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले मर जाते हैं), यदि वे अमान्य हो जाते हैं, या यदि वे सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके उत्तराधिकारियों को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी।नतीजतन, दिनांक 30.03.1981 के निर्णय और पुरस्कार द्वारा, औद्योगिक न्यायालय ने निर्देश दिया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, यदि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले मर जाते हैं; यदि वे अमान्य हो जाते हैं, या यदि वे सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके उत्तराधिकारियों को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जानी चाहिए।

2.1 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद कुछ और मांगें उठाई गईं और 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 में दिनांकित आई. डी. 1 के निर्णय और पुरस्कार को संशोधित करने की मांग की

गई और इसलिए औद्योगिक न्यायालय को 1993 के संदर्भ (आई. टी.) सं. 2 से 1993 के संदर्भ (आई. टी.) सं. 4 के लिए संदर्भ दिए गए।मांग संख्या 4 ए के संबंध में थी।

कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों का रोजगार (महानगर पालिका के कहने पर भी ऐसा ही था)। अहमदनगर महानगर पालिका ने 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 के अनुसार कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को रोजगार की मांग के संबंध में परिवर्तन की सूचना दी और उक्त विवाद को 1993 के संदर्भ (आई. टी.) सं. 2 के रूप में निर्णय के लिए भेजा गया।उपर्युक्त मांग संख्या 4 के संबंध में दिनांक 1 के निर्णय और पुरस्कार द्वारा, औद्योगिक न्यायालय ने 1979 के संदर्भ आई. टी. संख्या 51 में पहले के निर्णय को संशोधित किया और अहमदनगर महानगर पालिका को निर्देश दिया कि (1) केवल स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान किया जाए (2) सभी श्रेणियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान किया जाए, यानी सरकारी प्रस्तावों और सरकारी कर्मचारियों के बराबर परिपत्रों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक।अर्थात्, उक्त पुरस्कार के तहत, कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई थी और अनुकंपा नियुक्ति केवल चतुर्थ श्रेणी के मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को प्रदान की गई थी।

2.2 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद अहमदनगर महानगर पालिका कामगार संघ द्वारा नगर निगम/महानगर पालिका के खिलाफ दो अन्य औद्योगिक विवाद उठाए गए थे जो वर्ष 2005 में शिकायत (यूएलपी) संख्या 2005 की 55 और शिकायत (यूएलपी) संख्या 2005 की 83 थी।दावा की गई राहतों में से एक 1979 के संदर्भ आई. टी. संख्या 51 में पारित निर्णय और पुरस्कार दिनांक 30.03.1981 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए रोजगार के लिए थी।उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः 16.09.2016 और 21.09.2016 दिनांकित निर्णयों और पुरस्कारों द्वारा, औद्योगिक न्यायालय ने अहमदनगर महानगर पालिका को 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 में पारित पुरस्कार के प्रावधानों के अनुसार योग्य उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया।इस प्रकार, औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उनकी सेवानिवृत्ति पर रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया।औद्योगिक न्यायालय द्वारा शिकायत (यू. एल. पी.) सं. 55/2005 और शिकायत (यू. एल. पी.) सं. 83/2005 में क्रमशः पारित दिनांक 16.09.2016 और 21.09.2016 द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का विषय थे।विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं को निम्नानुसार खारिज/निपटाया हैः

“(क) अनुलग्नक 'क' और 'ख' में ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने आज की तारीख तक 45 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अर्थात 01.03.2022

दिनांकित 21.03.2022 के उत्तर में हलफनामे को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में 30.04.2022 पर या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।

(ख) वे उम्मीदवार जिन्होंने 01.03.2022 पर 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे रुपये की एकमुश्त मुआवजे के हकदार होंगे। अनुकंपा नियुक्ति के बदले में 5 लाख।इस तरह की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान 31.05.2022 पर या उससे पहले किया जाएगा।

(ग) नगर निगम उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 30.04.2022 पर या उससे पहले योग्य उम्मीदवारों को नियुक्तियों के आदेश जारी करेगा।"

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याची -अहमदनगर महानगर पालिका ने अपने आयुक्त के माध्यम से वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. श्री सुहास कदम, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं-अहमदनगर महानगर पालिका और सुश्री अय्यर श्रुति गोपाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए हैं-संघ।

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता-महानगर पालिका ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि औद्योगिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 में पारित किए गए निर्णय और पुरस्कार के आधार पर आदेश पारित किए हैं। कि उक्त पुरस्कार उस समय पारित किया गया था जब अहमदनगर महानगर पालिका एक नगर परिषद थी।वर्ष 2003 में, नगर परिषद को नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया है और महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों/योजनाओं द्वारा शासित होते हैं।इसलिए, महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए औद्योगिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने महानगर पालिका/नगर निगम को 1979 के संदर्भ आई. टी. संख्या 51 में पारित निर्णय और पुरस्कार के अनुसार कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की है, जो उस समय 1981 में था जब नगर परिषद अस्तित्व में थी।

3.2 के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा करते हुए

सरकार के सचिव। शिक्षा विभाग **(**प्राथमिक**)** और अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा**, 2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1264**

आगे प्रस्तुत किया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संशोधित योजना के अनुसार की जानी चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, बाद में संदर्भ (आई. टी.) संख्या (आई. डी. 2) में पारित निर्णय और पुरस्कार दिनांक (आई. डी. 1) द्वारा, औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर रोजगार के संबंध में मांग को संशोधित किया और निर्देश दिया कि केवल मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारी ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार होंगे।साथ ही सभी श्रेणियों के कानूनी उत्तराधिकारी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के बराबर अनुकंपा नियुक्ति के

हकदार होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि औद्योगिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने महानगर पालिका को कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का निर्देश देने में गंभीर गलती की है।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का ऐसा निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होगा और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य के खिलाफ होगा।3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित नहीं है, लेकिन परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और ऐसे कारकों सहित विभिन्न मानकों की सख्त जांच के अधीन है।इसलिए यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का ऐसा निर्देश औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए था, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है।

3.5 इसके बाद महानगर पालिका/नगर निगम की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, उच्च न्यायालय द्वारा रुपये की एकमुश्त क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। उन उम्मीदवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के बदले में 5 लाख, जिन्होंने 1.3.2022 पर 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, टिकाऊ नहीं है।3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन दोनों अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

4.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और 1979 के संदर्भ आई. टी. संख्या 51 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार की बाध्यकारी प्रकृति पर विचार करते हुए, न तो औद्योगिक न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर नियुक्तियां देने का निर्देश देने में कोई त्रुटि की है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पक्षकार द्विदलीय समझौते की शर्तों द्वारा शासित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 में पारित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक 30.03.1981 होता है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी विवेकाधिकार का कोई सवाल ही नहीं है और कर्मचारियों के उत्तराधिकारी संबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार हैं। सुभद्रा के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि कर्मचारियों के उत्तराधिकारी 1979 के संदर्भ आई. टी. संख्या 51 में पारित निर्णय और पुरस्कार के तहत नियुक्ति का अधिकार प्राप्त करते

हैं, इसलिए कर्मचारियों के संबंधित उत्तराधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति के हकदार हैं।

4.4 यह तर्क दिया जाता है कि कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे वरस हक्का कहा जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अनुकंपा नियुक्ति पर इस न्यायालय का कोई भी निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, औद्योगिक न्यायालय ने महानगर पालिका/नगर निगम को 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 में पारित निर्णय और पुरस्कार के अनुसार कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त निर्णय और पुरस्कार वर्ष 1981 में पारित किया गया था, उस समय जब नगर परिषद अस्तित्व में थी।इसके बाद वर्ष 2003 में नगर परिषद को नगर निगम/महानगर पालिका और महानगर ए के तहत सभी कर्मचारियों में परिवर्तित कर दिया गया है।

पालिका/नगर निगम राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना/नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं, जो अनुकंपा के आधार पर किसी भी नियुक्ति या कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है।

6. अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संदर्भ (आई. टी.) सं. 2/1993 में, जो कि 1979 के संदर्भ (आई. टी.) सं. 51 के अनुसार कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को रोजगार की मांग के संबंध में परिवर्तन की सूचना पर महानगर पालिका के कहने पर था, औद्योगिक न्यायालय ने निर्णय और दिनांक 21.02.2005 के निर्णय के माध्यम से केवल मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निर्देश दिया।औद्योगिक न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से कहा गया था कि 1979 के संदर्भ सूचना प्रौद्योगिकी सं. 51 में पूर्व निर्णय पारित करने के समय, यानी वर्ष 1979 में कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर रोजगार प्रदान करने की मांग उचित थी, हालांकि, वर्तमान स्थिति में उक्त मांग अच्छी और उचित नहीं लगती है।औद्योगिक न्यायालय ने आगे कहा कि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आजकल बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और उच्च योग्यता के बावजूद योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल रही है और वे बेरोजगार बने हुए हैं।मांग को संशोधित करते हुए और कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों (संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश देते हुए, संदर्भ आई. टी. सं. <आई. डी. 2 में दिनांकित 21.02.2005 निर्णय और पुरस्कार में, औद्योगिक न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

“पक्षों की मौखिक प्रस्तुतियों से ऐसा लगता है कि रेफरी में पूर्व पुरस्कार पारित करने के समय। (आई. टी.) सं. 51/1979 अर्थात, वर्ष 1979 में कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को

रोजगार प्रदान करने की मांग उचित थी, हालांकि वर्तमान स्थिति में उक्त मांग अच्छी और उचित प्रतीत नहीं होती है।कहने की जरूरत नहीं है कि आजकल बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। उच्च योग्यता के बावजूद योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल रही है और वे बेरोजगार हैं।इस मांग को देखते हुए योग्य बेरोजगार व्यक्ति को पार्टी नं. की स्थापना में नौकरी पाने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1, क्योंकि कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को पार्टी नं. 1 की स्थापना में काम करने वाले कर्मचारी के स्थान पर नौकरी मिलेगी।1. श्री पाटिल ने पार्टी नं. 1 ने उचित रूप से प्रस्तुत विद्वान कि इस मांग के आधार पर कानूनी उत्तराधिकारी बहुमत प्राप्त करने पर रोजगार का दावा कर रहे हैं और यदि कानूनी उत्तराधिकारी सेवानिवृत्ति के समय नाबालिग है और

10 साल बाद भी ऐसी परिस्थितियों में भी मेरे विचार से कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान करने की मांग उचित नहीं लगती है।

पक्षों के मौखिक साक्ष्य के माध्यम से यह पर्याप्त रूप से दर्ज किया गया है कि इस मांग के अनुसार रोजगार का अधिकार के रूप में दावा किया गया है और उचित उम्मीदवार के चयन की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां तक कि आरक्षण के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया जा सका है।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि सरकारी नीति के अनुसार प्रतिष्ठान में कुछ पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं और उन पर रोजगार के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को दिया जाना है, हालांकि दूसरों के लिए रोजगार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पार्टी नं.1.

यह भी रिकॉर्ड में आया है कि इस मांग के अनुसार गोद लेने के आधार पर दूर के रिश्तेदार के लिए रोजगार का दावा किया जा रहा है।यह सच है कि गोद लेने का कार्य कानून के अनुसार और गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने के बाद उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में किया जा सकता है, हालांकि न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजों की विभिन्न प्रतियों से ऐसा लगता है कि हलफनामे के आधार पर भतीजे के लिए रोजगार का दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि भतीजा उस कर्मचारी की देखभाल कर रहा है।इसी तरह, एक अन्य मामले में गोद लिए गए बेटे के लिए आवेदन दिनांक 02.05.1997 द्वारा रोजगार की मांग की जाती है और गोद लेने का विलेख 30.04.1997 पर निष्पादित किया गया है।

इन दस्तावेजों से यह सकारात्मक रूप से कहा जा सकता है कि कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों की मांग या रोजगार प्रदान करने का दुरुपयोग किया गया है।इसके अलावा, पार्टी नं. की ओर से कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। 2 यह कि ऐसी प्रथा किसी अन्य प्रतिष्ठान में जारी रखी जा रही है।पक्ष का गवाह नं. 2 यूनियन ने विशेष रूप से इस बारे में पूछा कि वह कोई दस्तावेजी सबूत नहीं ला सके।

मेरी राय में भले ही यह मांग 1979 में उचित थी, लेकिन वर्तमान दिनों में यह निश्चित रूप से उचित और उचित नहीं है और मांग के दुरुपयोग के आलोक में यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पार्टी नहीं। 1 कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को सेवानिवृत्ति, अयोग्यता या इस्तीफे पर रोजगार प्रदान करने के संबंध में मांग में बदलाव की मांग करना उचित है, क

अब मैं मांग को संशोधित करने और पार्टी नं. 1 (1) केवल स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान करना (2) सभी श्रेणियों यानी प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कानूनी उत्तराधिकारियों को सरकारी प्रस्तावों और सरकारी कर्मचारियों के समान परिपत्रों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करना।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसके बाद औद्योगिक न्यायालय और/या यहां तक कि उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह महानगर पालिका/नगर निगम को कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दे, जो 1979 के संदर्भ आई. टी. सं. 51 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय पर निर्भर करता है।

7. नगर परिषद के नगर निगम/महानगर पालिका में परिवर्तित होने के बाद, महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना द्वारा शासित होंगे और सरकारी कर्मचारियों के बराबर होंगे।भीमेश उर्फ भीमप्पा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संशोधित योजना के अनुसार होगी। इसलिए, महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान राज्य सरकार की योजना द्वारा शासित होंगे, जिसमें कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।8. अन्यथा भी, कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर ऐसी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अनुकंपा नियुक्ति को हमेशा भर्ती की सामान्य विधि के अपवाद के रूप में माना जाएगा।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किसी भी प्रकार की सुरक्षा के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर प्रदान की जाती है।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वतः नहीं होती है और यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांच के अधीन होगी।कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है।इसलिए, अनुकंपा पर नियुक्ति कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर आधार नहीं दिया जा सकता है।यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो उस मामले में, बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और केवल उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को नियुक्ति मिलेगी और जो बाहरी हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी और/या सुशिक्षित और/या अधिक योग्य हो सकते हैं।इसलिए, प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन कि नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नहीं है, लेकिन इसे वरस हक्का कहा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।भले ही इसे वरस हक्का कहा जाए, लेकिन यह किसी भी योजना द्वारा समर्थित नहीं है और यहां तक कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 15 का उल्लंघन भी कहा जा सकता है।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, महानगर पालिका/नगर निगम को कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का निर्देश देने में औद्योगिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय दोनों ही टिकाऊ नहीं हैं और वे रद्द किए जाने और अपास्त करना के योग्य हैं।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये दोनों अपीलें सफल होती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश के साथ-साथ शिकायत (यू. एल. पी.) संख्या 55/2005 और शिकायत (यू. एल. पी.) संख्या 83/2005 में पारित निर्णय (ओं) और पुरस्कार (ओं) क्रमशः महानगर पालिका/नगर निगम को 1979 के संदर्भ आई. टी. संख्या 51 में पारित निर्णय और पुरस्कार दिनांक 30.03.1981 के संदर्भ में कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर नियुक्त करने का निर्देश देते हुए अपास्त करना कर दिए जाते हैं।

11. तदनुसार, तत्काल अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)